

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

कमलेश बनान लालुलाल (कीर)

किस्म मुकदमा प्रापत्र 11-129 नं. 58 सन् 2023

नांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23 6/23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 8-6-23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p> <p>पत्रावली मंहगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत बादलास में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाप पंक्ति में गये। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थिति मृदु से खिरेवा जाकर शक्ति पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमान होकर नम्बर से कम है।</p> <p>हुक्माचन्द राहिलानेया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीनन्द रोहलागिया आरएएस

मुकदमा संख्या - 58/23 प्रा.पत्र

1- श्री कसमखीरा डो. श्री गीतास्येणु गिवासी. लातवारा तहसील-मांडल (गौर)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री लाडुलाब डो. श्री मेधाकीर गिवासी. लातवारा तहसील-मांडल (गौर)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राभूराअधि 1956

दिनांक- 15.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राभूराअधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लातवारा पटवार हल्का लातवारा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 781, 782 कुल कित्ता 02 रकबा 0.3794 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के नदय आराजी मुतदायिवा के सीमा किन्तु नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते को नभै की पत्थरगदी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को लातवारा में यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगदी कराने का अधिकारी है। प्रार्थी भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राभूराअधि 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लातवारा पटवार हल्का लातवारा तहसील माण्डल में उसके खाते, संयुक्त खाते की आराजी नं० 781, 782 कुल कित्ता 02 रकबा 0.3794 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगदी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगदी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लेखावा की रूपरे / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील दिन्दु को आधार मानकर पत्थरगदी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगदी नहीं की जावे।

हुकमीनन्द रोहलागिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगदी की जाकर पासना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीनन्द रोहलागिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023